कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़ द्वारा जिला/वनमण्डल झालावाड़ में Extention of Kolana air strip at Jhalawar के निर्माण कार्य में 120.4062 है। वनभूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/OTHERS/21735/2016 पर दिनांक 07.10.2016 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्वाव को परीक्षण करने पर दिनांक 27.72017 को कुछ आक्षेप लगाये गये है उनका बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1 (xvii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के आदेष की प्रति संलग्न की गई हैं किन्तु इसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सत्यापित किये जाने अपेक्षित है।	हस्ताक्षर सत्यापित कराकर प्रति संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-1 में यूजर एजेन्सी द्वारा कोई सूचना नही भरी गई हैं जबके यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में इसी उद्देश्य हेतु 9.71 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन कराया गया है । यूजर ऐजेन्सी उक्त प्रस्ताव को बिन्दु संख्या 1 में अंकित करें एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नही किये जाने के कारण भी स्पष्ट किया जावें।	पूर्व में 9.71 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑफलाईन थे जिसे बिन्दु संख्या सं. 1 में अंकित कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पालना नही किये जाने का कारण संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.4 में यूजर एजेन्सी द्वारा एक ही कम्पोनेंट एयर स्ट्रिप दिया गया है जबकि प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि में (जैसे रोड निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, पार्किंग आदि) करवाये जाने प्रस्तावित है उक्तानुसार कम्पोनेटवाइज भूमि उपयोग का विवरण अंकित किया जावें।	प्रस्ताव के बिन्दु सं. B-2.4 में कम्पोनेन्ट अनुसार भूमि उपयोग का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (ii) में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत KML file में निम्न कमियाँ है। 1. KML File Polygon Shape में दी गई है प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का KML file polygon shape में दिया जाना अपेक्षित है। 2. प्रस्ताव के कम्पोनेंट अनुसार KML File दी जानी प्रस्तावित है। 3. प्रस्ताव में वन/गैर वन सीमा का भी सीमांकन नही दिया गया है।	KML file में वन भूमि Polygon shape में दर्शायी गयी है एवं वन भूमि एवं गैर वन भूमि का सीमांकन कर दिया गया है एवं विवरण अंकित कर दिया गया है। वन भूमि का सीमांकन Polygon shape में ही किया हुआ है। पाँचों कम्पोनेन्ट अनुसार KML file संलग्न कर दी गई है।
5	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (iii) में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत GT Sheet में वनभूमि को वन सीमा का भी सीमांकन तो किया किया जाना प्रस्तावित है	GT Sheet में वन भूमि एवं गेर वन भूमि का सीमांकन कर दिया गया है
6	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (iv) में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत DGPS Map में निम्नानुसार दर्शाया जाना प्रस्तावित है :– 1. पूर्ण प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के सभी कार्नस के जी.पी.एस. कोर्डीनेटस 2. कम्पोनेट अनुसार वन भूमि/गैर वन भूमि (प्रोजेक्ट में शामिल) को दर्शाया जाना	1. वन भूमि के सभी कार्नस के जी.पी.एस. कोर्डीनेटस संलग्न कर दिये गये है। 2. कम्पोनेट अनुसार वन भूमि/गैर वन भूमि (प्रोजेक्ट में शामिल) को दर्शा दिया है

	3. पूर्व में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि जिसे इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है उसका पृथक रंग से अंकन 4. वनसीमा का अंकन	3. प्रस्तावित वन भूमि जिसे इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है उसका पृथक रंग से अंकन कर दिया गया है। 4. वन सीमा अंकन कर दी गई है।
7	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या D में यूजर एजेन्सी द्वारा हवाई पट्टी को 3000 मीटर तक बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार के निर्देश होना अवगत कराया गया है किन्तु उसकी कोई प्रति संलग्न या संदर्भ का जिक्र नही किया गया है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में 9.71 है0 का प्रस्ताव भिजवाने के समय न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र भिजवाया गया था। क्या प्रस्ताव में एक्सटेंशन पूर्व से निर्धारित था। हवाई पट्टी का विस्तार वन भूमि की तरफ करने का क्या औचित्य है। इस सम्बन्ध में यूजर ऐजेन्सी अपनी स्पष्ट टीप्पणी प्रस्तुत करे।	अन्य कोई भूमि उपलब्ध नही होने एवं तकनिकी दृष्टि से हवाई पट्टी का विस्तार सटे हुए वन भूमि में उपयुक्त माना गया है। जिसका उल्लेख नियमानुसार ड्राफ्ट नेशनल सिविल एवीऐशन पॉलिसी 2015 एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर कर दी गई है।
8	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या F में यूजर एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं किया गया है।	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या H में यूजर एजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न नही की गई है।	पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
10	डप वन संरक्षक ने अपने पार्ट ।। में अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव की मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से दूरी 10 कि. मी. क्षेत्र में आती है प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है। अतः वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।	वन्य जीव स्वीकृति के लिए प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किये जा रहे है।
11	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में संलग्न वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र में निम्न सूचना दिया जाना प्रस्तावित है :– 1. जिला कलेक्टर, द्वारा जारी प्रमाण पत्र सिविल एवियशन विभाग अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है। जबकि प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड झालावाड़ द्वारा आवेदित किया गया है। 2. जिला स्तरीय कार्यवाही विवरण 3. ग्राम पंचायत कोलाना द्वारा 75.228 है. एवं ग्राम पंचायत मंडावर द्वारा 26.219 है. की अनापत्ति दी गई है शेष वन भूमि के प्रस्ताव का वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नही हैं। 4. प्रभावित पूर्ण वन क्षेत्र का ग्रामवार समिति कार्यवाही विवरण एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। 5. ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है इसमें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत	1. सलग्न हैं। 2. संलग्न है। 3. वनाधिकार प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पूर्ण भूमि का संलग्न है। 4. प्रत्येक ग्राम पंचायत का ग्राम वार समिति कार्यवाही विवरण संलग्न है। 5. संशोधित प्रपत्र संलग्न है।

	कार्यवाही न करके एयर स्ट्रिप एक्सटेंशन की स्वीकृति दी गई है जो उचित नहीं है। इसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित हैं।	
12	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में निम्न कमियाँ है :– 1. यूजर एजेन्सी द्वारा ग्राम हरनावदा में 120.4062 है. गैर वन भूमि देना अवगत कराया गया हैं जबकि संलग्न दस्तावेज में जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मात्र 31.19 है. के ही संलग्न है। 2. गैर वन भूमि का खसरावार मानचित्र संलग्न किया गया हैं जबकि इसमें DGPS Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। 3. 120.4062 गैर वन भूमि को वन विभाग को प्रस्ताव के बदले आरक्षित किये जाने के आदेश एवं उससे संबंधित जमाबंदी संलग्न की जानी प्रस्तावित है। निम्नानुसार अतिरिक्त सूचनाएँ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी जानी अपेक्षित है।	1. जिला कलेक्टर द्वारा जारी 120.4062 है. भूमि का आदेश संलग्न है। 2. डी.जी.पी.एस. मैप संलग्न है। 3. जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन आदेश एवं दखलनामा संलग्न कर दिया गया है।
13	प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां	प्रस्ताव की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति संलग्न है।
14	प्रस्तुत बार चार्ट सही नहीं है रिवाइज्ड बार चार्ट प्रस्तुत किया जाना है।	रिवाइज्ड बार चार्ट संलग्न है।
15	कम्पोनेट अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव की लम्बाई चौड़ाई का विवरण (खसरावार / ग्रामवार)	संलग्न है।
16	प्रस्ताव विवरण।	कोलाना हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. से 3000 मी. किया जाना प्रस्तावित हैं जिस पर एयरबस 320 लैण्ड की जा सके एवं कॉमर्शियल विमान सेवा चालू की जा सके। जिसका उल्लेख प्रोजेक्ट रिपोर्ट में विस्तृत रूप में किया गया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न है।
17	मलवा निस्तारण योजना।	संलग्न है।
18	प्रस्ताव के पार्ट।। के बिन्दु संख्या 8 (।।।) मे यह स्पष्ट नही किया गया हैं कि प्रस्तावित सिल मुकुंदरा नेशनल पार्क से 6.5 मी. दूरी पर है या मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से 6.5 कि.मी. दूरी पर हैं स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	
19	प्रस्ताव के पार्ट।। के बिन्दु संख्या 11 (।) मे उप वन संरक्षक द्वारा 9.71 है. वन भूमि पर निर्माण के होने का बाबत अंकित किया जाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना अवगत कराया गया हैं। साथ में दोषी अधिकारियों के नाम के.के. माथुर (अधिशाषी अभियन्ता) वी.एस. मित्तल (सहायक अभियन्ता), के.के. डगल (कनिष्ठ अभियन्ता) दिये गये है एवं मामाला न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया गया है। इस संबंध में उप वन सरंक्षक झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या कार्यवाही की गई है सहित तथ्यात्मक	

	विवरण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।	
20	डप वन संरक्षक द्वारा विस्तृत क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न नही की गई है। जो प्रस्तावित है।	
21	एन.पी.वी. गणना प्रपत्र संलग्न नही किया गया है	
22	प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न नही की गई है।	
23	डप वन संरक्षक ने अपनी सिलि निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट नही की गई है।	
24	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में नक्शों की भिन्नता को दूर करने, प्रस्ताव मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन में आने के कारण उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिसकी पालना उप वन संरक्षक/यूजर एजेन्सी द्वारा की गई अथवा नहीं यह स्पष्ट नही किया गया है इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण 11.6.2017 को किया गया जबकि इस पर हस्ताक्षर दिनांक 23.6.2017 को किये गये हैं पुनः स्पष्ट सथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	
25	प्रस्ताव में उप वन संरक्षण द्वारा मात्र पार्ट । की प्रति (दो) संलग्न कर भिजवाई गई है। जिसमें भी सम्पूर्ण संशोधित दस्तावेज (अण्डरटेकिंग 110.6962 हैं की संलग्न) संलग्न नही किये गये है पार्ट ।। एवं पार्ट ।।। एवं उनसे संबंधित सूचना संलग्न कर सही भिजवाई गई है। अतः प्रस्ताव में एक हार्ड प्रति मूल एवं दो प्रति फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर एजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी, एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट, सभी मानचित्र, जमाबंदी आदि) पर मय नाम, पद दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है।	

भवदीय

(एस.पी. गोयल)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़